संo– 457 /XXIV-4/2009

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून:दिनांक: 17 जून,2009

विषय:– पब्लिक इण्टर इण्टर कालेज सौली (कौड़िया) जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– नियो0–1 /54354 /प0इ0का0 सौली (कौड़िया) प्रान्ती0/2006–07 दिनांक 2 जनवरी 2008, पत्र सं0–नियोजन/68785/5 ख(3)प0इ0का0 सौली (कौड़िया) प्रान्ती0/2007–08 दिनांक 20 मार्च 2008 एवं नियो0–1/ 28105 /प0इ0का0 सौली (कौड़िया) प्रान्ती0/2006–07 दिनांक 23 अक्टूबर 2008 के संदर्भ में श्री राज्यपाल महोदय पब्लिक इण्टर इण्टर कालेज सौली (कौड़िया) जनपद पौड़ी गढ़वाल के शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा वास्तविक रूप से अधिग्रहण की तिथि जो भी बाद में हो, प्रान्तीयकरण किये जाने एवं विद्यालय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश के दिनांक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी 2010 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जांये, अस्थायी पदों को सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। यह पद शिक्षा विभाग के सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे। इन पदो के पदधारकों को समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होगें।

क्र0 सं0	पदनाम	पूर्व वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान	छठे वेतन आयोग के क्रम में।	सृजित पदों की सं0
1.	प्रधानाचार्य	10000–15200	12000–16500	15600–39100 वेतन बैंड–7600	01
2.	प्रवक्ता	6500–10500	7500–12000	9300–34800 वेतन बैंड 4800	06

3.	सहायक अध्यापक (एल0टी0)	5500–9000	7450–11500	9300–34800 वेतन बैंड–4600	07
4.	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000		5200–20200 वेतन बैंड–2400	01
5.	कनिष्ठ सहायक	3050–4590		5200–20200 वेतन बैंड–1900	02
6.	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200		4440–7440 वेतन बैंड–1300	09
			योगः–		26

2. राज्यपाल महोदय प्रान्तीयकृत इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय से संबंधित व्ययों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते है।

3. प्रान्तीयकरण की तिथि से इस विद्यालय का सम्पूर्ण व्यय राजस्व–व्ययक से सीधे सरकारी खर्च के रूप में वहन किया जायेगा तथा अन्य राजकीय विद्यालयों की भांति इस विद्यालय को भी जिला शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक अधिकार में दिया जायेगा जो शिक्षा निदेशक उत्तराखण्ड द्वारा प्रसारित सामान्य नियमों के अनुसार इसका संचालन करेंगे। प्रश्नगत विद्यालय की भूमि/भवन आदि सभी चल तथा अचल सम्पति का शासन को स्थानान्तरण कर दिया जायेगा । विद्यालय की आय में (प्रान्तीयकरण की तिथि से तथा विद्यालय की अवशेष वसूली की बकाया रकम, कोष चन्दे से प्राप्त रकम, दान से प्राप्त धनराशि तथा छात्रों से ली गई फीस की धनराशि सम्मिलित है) राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त आय सम्बन्धित शीर्षक में जमा कर दी जायेगी। प्रान्तीयकरण पर यह विद्यालय बिना दायित्व तथा अन्य भार के शासन को सौंप दिये जायेगे। प्रान्तीयकरण से पहले की देनदारी यदि बाद में निकल आयी, तो उसका दायित्व शासन पर नही होगा।

4. उपर्युक्त विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे वर्तमान स्टाफ को,जो प्रान्तीयकरण की तिथि को निर्धारित योग्यता रखते हो, इस शासनादेश में स्वीकृत पदो के विपरीत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा तथा इन पदधारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण का पूर्ण अधिकारी शासन तथा शिक्षा विभाग को होगा । इन पदधारकों को राजकीय सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण करना तभी सम्भव होगा, जब ये सक्षम अधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा

अन्ततः योग्य घोषित कर दिये जायेंगे। ऐसे प्रश्नगत स्टाफ को वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा ।

5. ऐसे पदधारक जो निर्धारित योग्यता न रखते हों अथवा जिन्हें शासन के सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो, का सरकारी सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण सम्भव न होगा जिन्हें कि उपरोक्त स्वीकृत पदों के सक्षम अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाये। तदनुसार प्रश्नगत स्टाफ को चेतावनी दे दी जाय कि नियुक्ति अधिकारी अथवा विपरीत क्रम से उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को लिखित रूप से दिये गये नोटिस पर समाप्त कर दी जायेगी। ये कर्मचारी अपनी नई सेवा शर्तों को जो एक अस्थायी राज्य कर्मचारी के अनुरूप होगी, स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे।

6. जिन पदों का सृजन संप्रति प्रचलित मानकों से अधिक किया जा रहा है, उन पर कार्यरत कार्मिकों को अन्यत्र रिक्त पदों पर स्थांतरित करते हुये मानक से अधिक सृजित पदों को तदनुसार समाप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी, जिससे विद्यालयों में अन्ततः मानकानुसार पदों की स्थिति बनी रहें।

7. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 आय –व्ययक के अनुदान संख्या–11के अधीन लेखाशीर्षक –2202– सामान्य शिक्षा –02–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनेत्तर– 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय–08–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण के अन्तर्गत वहन किया जायेगा ।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–73 (N(P) XXVII (3)/ 09 दिनांक 9–6–2009 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या– 157 (1)/ XXIV-4/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी ।
4. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी।
7. सचिव, शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर,नैनीताल।
8. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
9. वित्त विभाग–3/नियोजन प्रकोष्ट।
10. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनुसचिव।